परिपत्र सं0 37/10

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ–6(1)विविध/निरीक्षण/ 1314 दिनांक 02 /11/2010.

परिपत्र

1.0 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 की धारा 37(3) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है जहां पर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुद्रांकन योग्य दस्तावेजों का सृजन व आदान–प्रदान होता है।

2.0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 16–12–97 जारी कर लोक कार्यालय अधिसूचित किए हैं और इन कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों को स्टाम्प अधिनियम की धारा 37(3) के प्रयोजनार्थ अपने–अपने कार्यालय के कार्यालय प्रभारी घोषित किया है। अधिसूचना दिनांक 16–12–97 नीचे उद्वत की जा रही है:–

राजस्थान स्टाम्प विधि(अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या–7) द्वारा राजस्थान के लिए यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2) की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को "पब्लिक आफिस" निश्चित करती है–

1– केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय।
2– राज्य सरकार के समस्त कार्यालय।
3– केन्द्र सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ।
4– राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ।
5– नगर पालिका/नगर परिषद/नगर सुधार न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय।
6– दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय।
7– समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय।
8–समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनियों के कार्यालय।
9– नोटेरी अधिनियम 1952 के अन्तर्गत नियुक्त नोटरी के कार्यालय।
10–शपथ आयुक्त के कार्यालय।

राज्य सरकार यह भी निश्चित करती है कि उपरोक्त पब्लिक ऑफिसेस के कार्यालयध्यक्ष ही उक्त अधिनियम की धारा 33(3) के प्रयोजनार्थ अपने–अपने– कार्यालयों के कार्यालय प्रभारी होगें।

3.0 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 37(3) व 37(4) भी नीचे उद्वत की जा रही है:–

37(3) For the purpose of this section in cases of doubt,-
(a) the State Government may determine what offices shall be deemed to be public offices; and
(b) the State Government may determine who shall be deemed to be persons incarge of public offices.

37(4) When a person incharge of a public office, during the course of inspection or otherwise, detects from an instrument or copy thereof or when it appears there from to the person referred to in sub-section(1) that the instrument is not duly stamped, such person shall forthwith make a reference to the Collector in that matter.

02/11

इन प्रावधानों के पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का यह दायित्व है कि उनके समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज आए या निष्पादित हो जो मुद्रांकित होना चाहिए किन्तु अमुद्रांकित हैं अथवा अपूर्ण मुद्रांकित है तो उसे पूर्ण मुद्रांकित करावें अथवा यदि पक्षकार पूर्ण मुद्रांकन से मना करे तो उस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकन हेतु कलक्टर(मुद्रांक) को रेफरेन्स करे।

4.0 धारा 37(4) के पठन से स्पष्ट है कि इस प्रावधान की पालना करना लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के लिए बाध्यकारी है।

5.0 उक्त बाध्यकारी प्रावधान की पालना नहीं करने के कारण महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में तथा सीएजी द्वारा अपनी विभिन्न रिर्पोट्स में गम्भीर आक्षेप अंकित करते हुए उल्लेख किया है कि उन लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी राजस्थान स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करवाने के विधिक दायित्व में विफल हुए हैं।

6.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा सीएजी रिर्पोट्स में इस प्रकार पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफलता से सम्बन्धित आक्षेपों की पालना के क्रम में **प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी सम्बन्धित विभागों का ही दायित्व है।**
इसके क्रम में प्रथमतः लोक कार्यालय घोषित विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि **उनके कार्यालय से निष्पादित होने वाले दस्तावेज यथाविधि पूर्ण मुद्रांकित हो कर ही निष्पादित हो,** द्वितीय, **उन्हें प्राप्त होने वाले अपूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करवाना चाहिए।**

6.2 जिन दस्तावेजों के सम्बन्ध में ऑडिट का आक्षेप हुआ है, उनसे सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देकर, शेष मुद्रांक शुल्क की वसूली करनी चाहिए। वसूली जर्ये चालान बैंक में **मद सं0 0030 पंजीयन एवं मुद्रांक** में राशी जमा करवायी जा कर की जा सकती है। वसूली होने पर उसका पूर्ण विवरण देते हुए दस्तावेज पर पूर्ण मुद्रांकन का नोट अंकित करने हेतु सम्बधित कलक्टर(मुद्रांक) के यहां प्रेषित करना चाहिए।

6.3 यदि सम्बन्धित पक्षकार ऑडिट आक्षेपानुसार कमी मुद्रांक शुल्क की पूर्ति नहीं करते हैं तो तामीलशुदा नोटिसेज की प्रतियों के साथ, पक्षकार के अभ्यावेदन के साथ प्रकरण कलक्टर(मुद्रांक) के यहां निर्णय हेतु भेजना चाहिए।

7.0 अतः सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके कार्यालय से सम्बन्धित इस प्रकार के कमी मुद्रांक शुल्क/पंजीयन शुल्क के आडिट आक्षेपों/सीएजी रिर्पोट्स के पैराज के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करे।

8.0 राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए दस्तावेज निष्पादित किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्व अधिनियम की धारा 73(1)(b) नीचे उद्वर्त की जा रही है:–

73 (1) Any person,-

(a) ----------

(b) executing or signing otherwise than as a witness any other instrument chargeable with duty without the same being duly stamped; or

(c) ----------

shall for every such offence be punishable with fine which may extend to five thousand rupees:

महानिरीक्षक, 02/11/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांक एफ–6(1)विविध/निरीक्षण/ 1315–1765 दिनांक 02/11/2010.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रतिलिपि निम्नांकित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्रानुसार पालना के निर्देश देने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है:–
   1– प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन विकास विभाग, जयपुर/सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर
   2– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 (DISCOM) जयपुर/जोधपुर/अजमेर
   3– प्रबन्ध निदेशक, अक्षय उर्जा निगम, जयपुर
   4– प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0/ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,जयपुर
   5– आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
   6– प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्यौगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO), जयपुर
   7– प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर
   8– प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज एवं खान लि0 (RSMM Ltd.) उदयपुर
   9– आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
   10– पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर
   11– पंजीयक, कम्पनीज, भारत सरकार, जयपुर
   12– आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
   13– मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग/सिंचाई विभाग, जयपुर
   14– निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
   15– आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा
   16– समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान.....
   17– रजिस्ट्रार कम्पनीज राजस्थान, जयपुर को भेज कर अनुरोध है कि इस परिपत्र की प्रतियां पालनार्थ समस्त निगमित व अनिगमित कम्पनियों को उपलब्ध कराने का श्रम करें एवम् कम्पनीज के सम्बन्ध में जारी/प्राप्त दस्तावेजात जिनका पूर्ण मुद्रांकन आवश्यक है, उनका पूर्ण मुद्रांकन अवश्य करावें।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान.....
4. अति0कलक्टर(मुद्रांक), जयपुर/समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक), राजस्थान को भेज कर लेख है कि अपने–अपने क्षेत्र में स्थित लोक कार्यालयों को इस परिपत्र की प्रति पालना हेतु शीघ्र उपलब्ध करावें व जिन कार्यालयों को परिपत्र भेजा है उसकी सूचना इस कार्यालय को भिजवावें। समस्त लोक कार्यालय यथा
   1– केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय।
   2– राज्य सरकार के समस्त कार्यालय।
   3– केन्द्र सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ।
   4– राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ।
   5– नगर पालिका/नगर परिषद/नगर सुधार न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय।
   6– दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय।
   7– समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय।
   8– नोटेरी अधिनियम 1952 के अन्तर्गत नियुक्त नोटरी के कार्यालय।
   9–शपथ आयुक्त के कार्यालय।
5. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान.....
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय,अजमेर
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक), वृत– जयपुर/जोधपुर
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय,अजमेर
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर
13. निजी सचिव, महानिरीक्षक/ निजी सहायक अति0महानिरीक्षक
14. समस्त शाखाएँ मुख्यालय, अजमेर

अति0महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर